

FORM - I

(for linear projects)

**Government of Chhattisgarh
Office of the District Collector Dhamtari**

No. 5100/वन श्रव./श.वि.

डा.र.न.

Dated 03/11/2016

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 03 rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non- forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **14.46** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer EHT (Const.) Dn. Chhattisgarh State Power Transmission Company Limited, Raipur for Construction of 132 KV DCSS Transmission line from proposed 132/33 KV S/s Nagri to proposed 132/33 KV S/s Indagaon in Dhamtari district falls within jurisdiction of Chamedra, Nirrabada villages in Nagri Tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **14.46** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level Committee (s), and the District Level Committee are enclosed as annexure ----- to annexure -----
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities.

Encl:- As above.

C.R.N. /
Collector
Dhamtari
3/11
ड.र.न. (ड.न.)

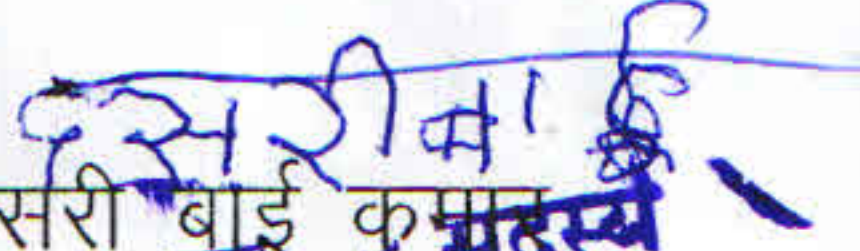
अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति, अनुभाग नगरी बैठक की कार्यवाही विवरण

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 तथा संशोधित नियम 2012 के तहत यूजर एजेन्सी कार्यपालन अभियन्ता, अति उच्च दाब (निर्माण) संभाग, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित, रायपुर द्वारा प्रस्तावित 132 के0व्ही0 विद्युत पारेषण लाईन प्रस्तावित 132/33 के0 व्ही0 उपकेन्द्र नगरी से इंदागांव तक जिला धमतरी के अंतर्गत तहसील नगरी में नीचे दर्शित आरक्षित वन से गुजरने का प्रस्ताव संबंधित ग्राम सभाओं से प्राप्त कर अनुविभाग स्तरीय वन अधिकार समिति को प्राप्त हुआ है। विद्युत लाईन निकालने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि के प्रत्यावर्तन की स्वीकृति प्रस्तावित है। इस संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 6(3) के प्रावधान के अंतर्गत गठित एवं प्रदत्त कर्तव्यों / अधिकारों के निर्वहन में नियम 2008 में नियम 6 एवं 14 में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अंतर्गत अनुभाग स्तर की समिति की बैठक दिनांक 05.10.2016 को आयोजित की गई।

क्रं0	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र / ग्राम	कक्ष क्रमांक	आरक्षित वन क्षेत्र (हेक्टेयर)	संरक्षित वन क्षेत्र (हेक्टेयर)	ऑरेंज वन क्षेत्र (हेक्टेयर)	राजस्व वन (हेक्टेयर)
		नगरी / चमेदा	Kh No.07	—	—	—	0.122
1	धमतरी वन मंडल	सोंकरा / निर्बाड़ेड़ा	RF 373	3.18	—	—	—
			RF 378	1.102	—	—	—
			RF 377	7.722	—	—	—
			RF 376	2.334	—	—	—
		कुल क्षेत्रफल (हेक्टे0)		14.338			0.122

बैठक में उपरोक्त प्रयोजनार्थ जिला धमतरी के संबंधित ग्राम सभाओं से प्राप्त प्रस्तावों का अनुविभाग स्तरीय समिति परीक्षण उपरान्त पाया गया कि उपरोक्त वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी खेती, आवास, व अन्य किसी भी अजीविका के लिए इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। तथा किसी अनुसूचित जनजाति एवं वनवासी को उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है अतः अनुभाग स्तरीय समिति के द्वारा वन भूमि के गैर वानिकी उद्देश्य अथवा 132 के0 व्ही0 नगरी - इंदागाँव विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण के लिए कुल 14.46 हेक्टेयर वन भूमि के

प्रत्यार्वतन नियमानुसार करने हेतु प्रस्ताव को सर्व सम्मति से पारित कर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को मूलतः प्रकरण प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।


श्रीमती दर्सरी बाई कुमारी
जनपद सदस्य
सदस्य, जनपद पंचायत, भैंसापुड़ा
सदस्य, अनुभाग स्तरीय समिति नगरी


श्री अजय कुमार
जनपद सदस्य
सदस्य, जनपद पंचायत, राजपुर
सदस्य, अनुभाग स्तरीय समिति नगरी


सहायक अधीक्षक सीतानदी
उदंती सीतानदी टासगर रिजर्व
सीतानदी अभ्यारण नगरी
सदस्य, अनुभाग स्तरीय समिति नगरी

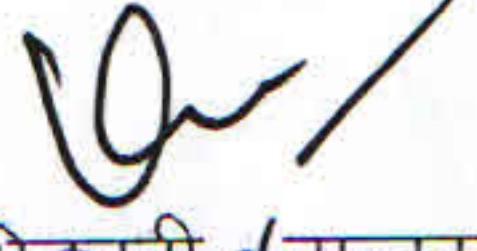

अनुविभागीय अधिकारी (वन)
बिरगुडी
सदस्य, अनुभाग स्तरीय समिति नगरी


श्रीमती शिवकुमारी राय
जनपद सदस्य
सदस्य, जनपद पंचायत
सदस्य, अनुभाग स्तरीय समिति नगरी


महेश सिंह
जनपद सदस्य
सदस्य, अनुभाग स्तरीय समिति नगरी


अनुविभागीय अधिकारी (वन)
उप वनमण्डलाधिकारी
नगरी
सदस्य, अनुभाग स्तरीय समिति नगरी


अनुविभागीय अधिकारी (वन)
धमतरी
सदस्य, अनुभाग स्तरीय समिति नगरी


अनुविभागीय अधिकारी (वन)
नगरी, (धमतरी) छत्तीसगढ़
अध्यक्ष, वन अधिकार अनुभाग स्तरीय समिति नगरी

ग्राम सभा फरसिया की बैठक दिनांक 21.08.2016

कार्यवाही का विवरण

ग्राम निरीबेड़ा स्थान प्राथ. शाला भवन निरीबेड़ा

आज दिनांक 21.08.2016 का ग्राम पंचायत फरसिया के सरपंच श्री/श्रीमति द्रोपती धुव

की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गई। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के सदस्य 45%

प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों में चर्चा की गई -

ग्राम निरीबेड़ा में आवेदक कार्यपालन अभियंता (नि.), संक्रा. ग, ह. रा. वि. पारे. रु. मर्चा. रायपुर ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि में व्यपवर्तन हेतु X हे० कक्ष क० 372, 378 वन भूमि 14.338 हे० राजस्व वन भूमि कुल X है वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गई।

प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गई।

इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गई जो वन भूमि 132 के.व्ही. विद्युत पारेषण लाईन कार्य के व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी गैर-परम्परागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं। एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परम्परागत वनवासी को हक प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परम्परागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है :-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकारी मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे०में)
1.	<u>निरं</u>	<u>निरं</u>	<u>निरं</u>

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि X हे० कक्ष क० 372, 378 वन भूमि 14.338 कक्षिय हे० राजस्व वन भूमि कुल योग हे० वन भूमि को गैर वानिकी प्रायोजन हेतु मेसर्स कार्यपालन अभियंता (नि) संक्रा. ग, ह. रा. वि. पारे. रु. मर्चा. रायपुर को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

अध्यक्ष
वन प्रबंधन समिति
निरीबेड़ा

माधवी व्योम कश्यप
अध्यक्ष
वन प्रबंधन समिति
फरसिया

द्रोपती धुव
सरपंच
ग्राम पंचायत, फरसिया
पट्ट. वपरी, जि. घमतरा (उ.)

कार्यालय ग्राम पंचायत फरसिया विकासखण्ड नगरी

जिला- धमतरी

—: अनापत्ति प्रमाण पत्र:—

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित द्वारा ग्राम पंचायत फरसिया

के आरक्षित वन क्षेत्र में 132 के.व्ही. विद्युत पारेषण लाईन स्थापित करने में हमारे ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः हमारे ग्राम पंचायत के कक्ष क्रमांक 373, 376, 377 प्रस्तावित रकबा 14.338 हे० आरक्षित 376 वन क्षेत्र में लाईन स्थापना से हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे ग्राम पंचायत में सर्वसम्मती से यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

दिनांक 21.08.16

अध्यक्ष
वन प्रबंधन समिति
निरंजना

साक्षी ज्योति कश्यप

अध्यक्ष
वन प्रबंधन समिति
फरसिया

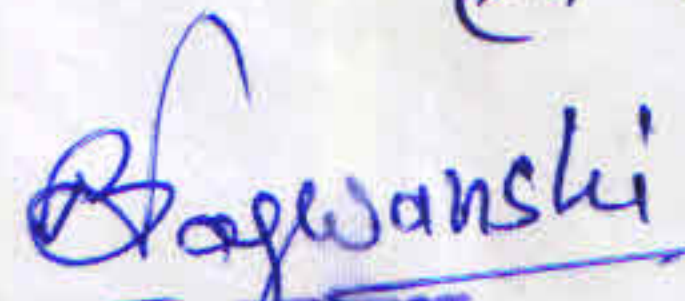
द्रोपती कुश
ग्राम पंचायत, फरसिया
तह. नगरी, जि. धमतरी (छ.)

प्रस्ताव

आज दिनांक 25-09-16 दिन-रविवार को वन प्रबंधन समिति परसिया^(निरीबेड़ा) आवश्यक बैठक रेगमंच पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्यों की बीच शखा गया, जिसमें ग्राम निरीबेड़ा वन भूमि 14-109³³⁸ है इसमें 132 KV विद्युत लाईन निर्माण हेतु सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है।

अध्यक्ष
वन प्रबंधन समिति

परसिया का अध्यक्ष
हमारे सील


अध्यक्ष
वन प्रबंधन समिति
निरीबेड़ा


सचिव

राम पंजापत, परसिया
नगरी, जि. धनतरी (उम)

सदस्यों का हस्ताक्षर



रामगुलाल

लक्ष्मणराव

पेमलाल

लालनाथ

कृष्णप्रकाश

इमलीनबाई

सुरेखाधुव



मेहनई
राम/नकरम

10/12 25 + 25
12/12/2013 2040
10.01 - 25/12
12/12/2013 2040
10.01 - 25/12

16402 02 + 22 11302-11303-11304-11305-11306

[illegible]

श्रीमती पी. शाह (शि.प.) क. गं. वा. आ वि. नि. वि. ३/११/७७
 Miss. Vijayalakshmi Sinha (सा.पं.) अध्यापिका १६४८ अंशवारदा
श्रीमती

उत्तम कुल मातृ पदवी विजेता करानिया

धारणी राम पुर्व

सैलोष नाग स्व. शि.पं. प/३ नि. वि. वेडा अ. वि.

धर्मेश्वर शाह (ग. वि. अधि.) कुवि विभाग विभाग

ग्राम सभा हर्दीभाडा की बैठक दिनांक 07.10.15

कार्यवाही का विवरण

ग्राम चमेडा स्थान चौपाल भवनआज दिनांक 07.10.15 का ग्राम पंचायत हर्दीभाडा के सरपंच श्री/श्रीमति भुनेन कुमारधुव की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गई। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के सदस्य 45% प्रतिभात उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों में चर्चा की गई -

ग्राम चमेडा में आवेदक कार्यपालन अभियंता (नि.) संभाग, छ.श. वि. पोदे. के. मर्धा, रायपुर ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि में व्यपवर्तन हेतु X हे० कक्ष क० वन भूमि हे० राजस्व वन भूमि कुल 0.122 है वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गई।

प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गई।

इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गई जो वन भूमि 132 के.व्ही. विद्युत पारेषण लाईन कार्य के व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी गैर-परम्परागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं। एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परम्परागत वनवासी को हक प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परम्परागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है :-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकारी मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे०में)
1	निरंक	निरंक	निरंक

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि हे० कक्ष क० वन भूमि हे० राजस्व वन भूमि कुल योग 0.122 हे० वन भूमि को गैर वानिकी प्रायोजन हेतु मेसर्स कार्यपालन अभियंता (नि.) संभाग, छ.श. वि. पोदे. के. मर्धा, रायपुर को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

अध्यक्ष
वन प्रबंधन समिति
कराघाटी

सरपंच
ग्राम चमेडा सरपंच
वि.सं. नगरी जिला धमतदे (उ.प्र.)

कार्यालय ग्राम पंचायत हरदीभाठा विकासखण्ड नगरी

जिला- धमतरी

—: अनापत्ति प्रमाण पत्र:—

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित द्वारा ग्राम पंचायत हरदीभाठा

के राजस्व वन क्षेत्र में 132 के.व्ही. विद्युत पारेषण लाईन स्थापित करने में हमारे ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः हमारे ग्राम पंचायत के कक्ष क्रमांक खस्य नं. 6 प्रस्तावित रकबा 0.122 हे० राजस्व वन क्षेत्र में लाईन स्थापना से हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे ग्राम पंचायत में सर्वसम्मती से यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

दिनांक 07.10.15


अध्यक्ष
वन प्रबंधन समिति
हरदीभाठा


जसवंत
ग्राम पंचायत हरदीभाठा
वि.खं. नगरी, जिला धमतरी (छ.ग.)

ग्राम सभा उपस्थिति पंजी

अनुक्रमिक (1)

ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति पंजी

ग्राम पंचायत का नाम

हनुमानगढ़

ग्राम सभा का नाम

ग्रामपंचायत

सम्मिलन की तारीख

27/10/05

सम्मिलन का स्थान

ग्रामाभिमुखी चौराहा

सम्मिलन का समय

दोपहर 12.0 बजे

अनुक्रमिक (1)	सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों के नाम (2)	सदस्यों के हस्ताक्षर (3)
1.	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़
2.	कविता	कविता
3.	कुमलेश्वरी	कुमलेश्वरी
4.	सुरिता	सुरिता
5.	पंचवती	पंचवती
6.	सोहादा बाई	सोहादा बाई
7.	निर्मला बाई	निर्मला बाई
8.	संतोषी छुव	संतोषी छुव
9.	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़
10.	अमरिका बाई	अमरिका बाई
11.	राजिनी	राजिनी
12.	सुनीता बाई	सुनीता बाई
13.	सुमित्रा	सुमित्रा
14.	रामेश्वरी बाई	रामेश्वरी बाई
15.	प्रेमबाई	प्रेमबाई
16.		

सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों के नाम (1)

सदस्यों के हस्ताक्षर (3)

अनुक्रमिक (1)

17

राम बाई

18

सविता छुव

19

रुमबाई

20

रुमबा बाई

21

विन्दा बाई

22

अम्बा वती

23

रामेश्वरी

24

रोहित नेताम

25

कुलचंद नेताम

26

सुरेश

27

कुल (चंद नेताम)

28

अम्बा

29

मनसूबाम चंद

30

कमला

31

रामन देवाम

32

गोशांजलि

33

प्रेमति सुपारणा हरकाम

34

डॉ. मरकाम

35

कमली बाई

36

नीला बाई

37

सुनीता बाई



Ram Bai

रुमबाई

रुमबा बाई

विन्दा बाई

अम्बा वती

रामेश्वरी

Rohit

Kulchand

Suresh

Kul (Chand)

Ambar

M.R. Devaru

Kamla

Raman Devam

Goshaanjali

Premati

Dr. Marakam

Kamla Bai

Neela Bai

Sunita Bai

प्रस्ताव

आज दिनांक 15/12/2015 दिन मंगलवार को वन प्रबंधन समिति करीबाटी की आवश्यक बैठक रंग-मैक पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्यों की बीच रखा गया जिसमें शाम चमेड़ा राजस्व वन भूमि 1.5 न है है उसमें विद्युत सब स्टेशन निर्माण हेतु सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है।



अध्यक्ष
वन प्रबंधन समिति
करीबाटी

सदस्यों की हस्ताक्षर

असवन उमर
कि 21/12/2015

बुधारा मंगेश

नवास्वती

दिववती

तिहारी नवास्वती

पंचास्वती

अजमोतिन

द्विधरो लाल

जयराज

वीरसिंग

क: हनुमान राम हनुमान

तोषाराम

शिवराम

उदराम

बामसिंह मरकाम

रविधर

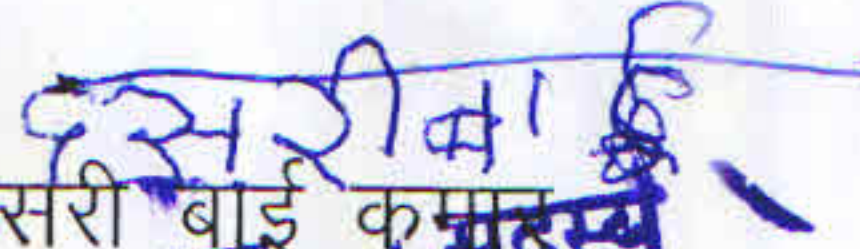
अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति, अनुभाग नगरी बैठक की कार्यवाही विवरण

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 तथा संशोधित नियम 2012 के तहत यूजर एजेन्सी कार्यपालन अभियन्ता, अति उच्च दाब (निर्माण) संभाग, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित, रायपुर द्वारा प्रस्तावित 132 के० व्ही० विद्युत पारेषण लाईन प्रस्तावित 132/33 के० व्ही० उपकेन्द्र नगरी से इंदागांव तक जिला धमतरी के अंतर्गत तहसील नगरी में नीचे दर्शित आरक्षित वन से गुजरने का प्रस्ताव संबंधित ग्राम सभाओं से प्राप्त कर अनुविभाग स्तरीय वन अधिकार समिति को प्राप्त हुआ है। विद्युत लाईन निकालने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि के प्रत्यावर्तन की स्वीकृति प्रस्तावित है। इस संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 6(3) के प्रावधान के अंतर्गत गठित एवं प्रदत्त कर्तव्यों / अधिकारों के निर्वहन में नियम 2008 में नियम 6 एवं 14 में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अंतर्गत अनुभाग स्तर की समिति की बैठक दिनांक 05.10.2016 को आयोजित की गई।

क्र०	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र / ग्राम	कक्ष क्रमांक	आरक्षित वन क्षेत्र (हेक्टेयर)	संरक्षित वन क्षेत्र (हेक्टेयर)	ऑरेंज वन क्षेत्र (हेक्टेयर)	राजस्व वन (हेक्टेयर)
		नगरी / चमेदा	Kh No.07	—	—	—	0.122
1	धमतरी वन मंडल	साँकरा / निर्बाड़ेडा	RF 373	3.18	—	—	—
			RF 378	1.102	—	—	—
			RF 377	7.722	—	—	—
			RF 376	2.334	—	—	—
		कुल क्षेत्रफल (हेक्टे०)		14.338			0.122

बैठक में उपरोक्त प्रयोजनार्थ जिला धमतरी के संबंधित ग्राम सभाओं से प्राप्त प्रस्तावों का अनुविभाग स्तरीय समिति परीक्षण उपरान्त पाया गया कि उपरोक्त वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी खेती, आवास, व अन्य किसी भी अजीविका के लिए इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। तथा किसी अनुसूचित जनजाति एवं वनवासी को उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकार प्रदत्त नहीं किया गया है अतः अनुभाग स्तरीय समिति के द्वारा वन भूमि के गैर वानिकी उद्देश्य अथवा 132 के० व्ही० नगरी - इंदागाँव विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण के लिए कुल 14.46 हेक्टेयर वन भूमि के

प्रत्यार्वतन नियमानुसार करने हेतु प्रस्ताव को सर्व सम्मति से पारित कर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को मूलतः प्रकरण प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।


श्रीमती दसरी बाई कुमारी
जनपद सदस्य
सदस्य, जनपद पंचायत, भैंसापुड़ा
सदस्य, अनुभाग स्तरीय समिति नगरी


श्रीमती शिवकुमारी राय
जनपद सदस्य
सदस्य, जनपद पंचायत
सदस्य, अनुभाग स्तरीय समिति नगरी


श्री अजय कुमार
जनपद सदस्य
सदस्य, जनपद पंचायत
सदस्य, अनुभाग स्तरीय समिति नगरी

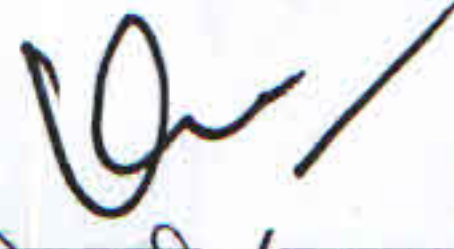

श्री. विकास चौधरी
जनपद सदस्य
सदस्य, अनुभाग स्तरीय समिति नगरी


सहायक अधिकारी सीतानदी
सदस्य, अनुभाग स्तरीय समिति नगरी


अनुविभागीय अधिकारी (वन)
उप वनमण्डलाधिकारी
नगरी
सदस्य, अनुभाग स्तरीय समिति नगरी


अनुविभागीय अधिकारी (वन)
बिरगुडी
सदस्य, अनुभाग स्तरीय समिति नगरी


अनुविभागीय अधिकारी (वन)
धमतरी
सदस्य, अनुभाग स्तरीय समिति नगरी


अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
नगरी, (धमतरी) छत्तीसगढ़
अध्यक्ष, वन अधिकार अनुभाग स्तरीय समिति नगरी

FORM - I

(for linear projects)

**Government of Chhattisgarh
Office of the District Collector Gariyaband**

No. 8222

Dated 22/10/16

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 03 rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non- forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 96.996 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer EHT (Const.) Dn. Chhattisgarh State Power Transmission Company Limited, Raipur for Construction of 132 KV DCSS Transmission line from proposed 132/33 KV S/s Nagri to proposed 132/33 KV S/s Indagaon in Gariyaband district falls within jurisdiction of Chhotegobra, pathari, Boirgaon, Behradih, Argari, Dumarghat, Kodomali, Taurenga, Jugad, Koyba, Indagaon village in Mainpur Tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 96.996 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level Committee (s), and the District Level Committee are enclosed as annexure ----- to annexure -----
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities.

Encl:- As above.


Collector
Distt.- Gariyaband

वन अधिकारों की मान्यता के अंतर्गत गठित अनुविभाग अधिकारी स्तर की

समिति की कार्यवाही बैठक का विवरण

यूजर एजेन्सी कार्यपालन अभियन्ता, अति उच्च दाब (निर्माण) संभाग, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित, रायपुर द्वारा प्रस्तावित 132 के०व्ही० विद्युत पारेषण लाईन प्रस्तावित 132/ के० व्ही० उपकेन्द्र नगरी से इंदागांव तक गरियाबंद जिले के मैनपुर तहसील के ग्राम छोटेगोबरा, पथरी, बोईरगांव, बेहराडीह, अडगडी, डूमरघाट, कोदोमाली, तौरंगा, जुगाड़, कोयबा, के आरक्षित वन, संरक्षित वन, नारंगी वन एवं राजस्व वन से गुजरने का प्रस्ताव है। अतः विद्युत लाईन निकालने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि के प्रत्यावर्तन की स्वीकृति प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 6 (3) के प्रावधान के अंतर्गत गठित एवं प्रदत्त कर्तव्यों / अधिकारों के निर्वहन में नियम 2008 में नियम 6 एवं 14 में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अंतर्गत अनुविभागीय स्तर की समिति की बैठक दिनांक...13/10/2016 को आयोजित की गई, जिसमें निम्नानुसार समिति की सदस्यो ने भाग लिया :-

1.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मैनपुर	अध्यक्ष
2.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (ज.पं.), मैनपुर	सचिव
3.	अनुविभागीय अधिकारी (वन), देवभोग	सदस्य
4.	सहायक संचालक, उदन्ती अभ्यारण्य, मैनपुर	सदस्य
5.	सहायक संचालक, तौरंगा बफर जोन, मैनपुर	सदस्य
6.	श्री सुखचंद ध्रुव, जनपद पंचायत सदस्य, मैनपुर	सदस्य
7.	श्री संजय नेताम, जनपद पंचायत सदस्य, मैनपुर	सदस्य

वन भूमि पर वन अधिकार के अधिभोग के संबंध में गरियाबंद जिले के मैनपुर तहसील के छोटेगोबरा, पथरी, बोईरगांव, बेहराडीह, अडगडी, डूमरघाट, कोदोमाली, तौरंगा, जुगाड़, कोयबा की ग्राम सभाओं में स्थित वन भूमि के प्रत्यावर्तन के संबंध में पारित संकल्प पर विचार किया गया और यह पाया गया कि वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति / अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत कृषि कार्य के लिये इसका उपयोग कर रहे हैं च्या अनुसूचित जनजाति व आदिम वनवासी को भूमि में व्यक्तिगत वनअधिकार मान्यता प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है, जो निम्नानुसार है:-

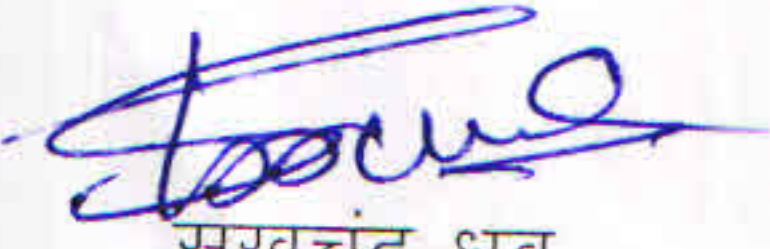
अनु.क्र.	ग्राम का नाम	कक्ष क्रमांक / खसरा क्रमांक	वनअधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	कुल प्रभावित रकबा (हे०)
1	छोटे गोबरा (कांटीपारा)	PF 969	निरंक	3.471
		PF 970	निरंक	5.733
		PF 1055	बिरजुराम/फागुराम, जोगेश्वर/स्व. देवसिंग	3.226
		PF 1054	निरंक	5.013
		PF 1058	निरंक	4.803

2	पथरी	PF 1060	निरंक	3.817
		PF 1061	निरंक	1.084
		KH. 54	चतुरसिंह / मानसिंह	1.00
		KH. 75	रविशंकर / विष्णु	0.300
		KH. 75	राधेश्याम / श्याम लाल	0.050
		KH. 97	मोहन / बुधराम	0.700
		KH. 124	डोमार / जयलाल , जयलाल / विश्राम	0.100
		KH.124	पीलाराम / घासीराम	0.003
		KH. 236	शंकरलाल / उमेन्द्रसिंग	0.060
		KH. 236	मयाराम / कोमल	0.100
		KH. 287	त्रिलोक / कचरू , कोशींगलाल / करणसिंग	0.930
		KH. 305	कालेन्द्री / तिहारू	0.460
3	बोईरगांव	KH. 111	साधुलाल / लुलाराम गोंड ,	0.200
		KH. 111/1	लछिन्द्र साव / गजेन्द्र गोंड	0.270
		KH. 111	सगरिया / रघुनाथ गोंड	0.150
		KH. 111	जगराम / सगरिया गोंड	0.250
		KH. 111	सुकलाल / जरहा गोंड	0.220
		KH. 182	पुनारद / लखमु गोंड	0.233
		KH. 182	भानू / पुनारद गोंड	0.190
		KH. 182	सुखरू / लखीराम कुमार	0.250
		KH. 182	लच्छन / भागीरथी गोंड	0.270
		KH. 168	जगमोहन / सुखराम गोंड	0.290
		KH. 182	मंगल / दर्शन	0.090
		KH. 168	हजारू / रामचन्द्र	0.050
		KH. 182	महगु / बोंगा	0.070
		KH. 182	खेलन / कन्हैया	0.030
		KH. 111	निरंक	0.476
4	बेहराडीह	KH. 103/253	राम / बोरेगा	0.050
		KH. 103/253	मुजुनु / बोरेगा	0.090
		KH. 26	लखन / डमरू	0.113
		KH. 26	बरनुराम / जेदुराम	0.660
		PF 1078	निरंक	0.516
		PF 1076	निरंक	9.261

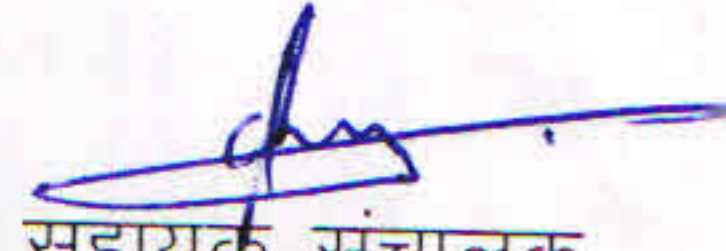
	अड़गड़ी	PF 1112	निरंक	9.15
		PF 1109	निरंक	3.777
6	डुमरघाट	PF 1091	निरंक	0.886
7	कोदोमाली	PF 1104	निरंक	6.853
8	तौरेंगा	PF 1105	निरंक	4.396
9	तौरेंगा (बफरजोन)	PF 1106	निरंक	2.112
10	जुगाड़ (कोर जोन)	PF 89	निरंक	5.319
		PF 84	निरंक	6.524
		KH. 25	महेश कुमार/ जयराम	0.060
		KH. 25	डमरू	0.044
		KH. 209	नीलाम्बर	0.070
		KH. 215	राजीबो	0.080
		KH 3 , 28 , 84 , 126 , 128 , 202 , 201 , 196 , 208 , 210.	निरंक	7.741
11	कोयबा	RF 29	निरंक	1.195
		KH. 136	रायमती/ पुनीतराम रावत	0.744
		KH. 136	घनश्याम	0.321
		KH. 136	संतोष/ रामप्रसाद	0.324
		KH. 137	बालसिंग	0.240
		KH. 137	दीपचंद	0.246
		KH. 137	रोहनी	0.242
		KH. 139	धनीराम	0.284
		KH. 145	रामचन्द्र	0.070
		KH. 145	जगदीश/ रामसिंह रावत	0.080
		KH. 145	हेमलाल/ रामसिंग	0.065
		KH. 145	चंदर/ बंशी रावत	0.085
		KH. 146/1 , 192 , 394	निरंक	1.509
12	इन्दागांव		निरंक	0
योग				96.996 हेक्टेयर

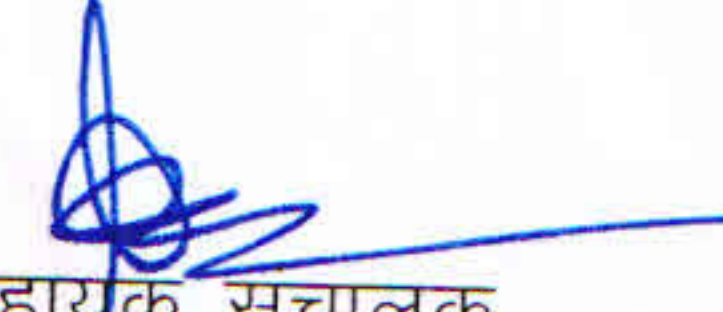
ग्राम अड़गड़ी, डुमरघाट, कोदोमाली, तौरेंगा, जुगाड़, कोयबा, और इंदागांव में राजस्व वन भूमि पर वन अधिकार मान्यता पत्र प्रदान किया गया है।

अतः गैर वन उद्देश्य अर्थात् प्रस्तावित 132 कैं0 व्ही0 नगरी से इंदागांव तक पारिषण लाईन हेतु अनुविभाग मैनपुर में स्थित गरियाबंद वनमंडल में मैनपुर रेंज, तौरेंगा रेंज, उदन्ती रेंज (उत्तर), उदन्ती रेंज (दक्षिण) एवं इन्दागांव रेंज में 96.996 हे० वन भूमि के विपथन/प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव को समिति के बैठक में सर्व सम्मति से पारित किया गया।


सुखचंद धुव
सदस्य जनपद पंचायत
सदस्य, अनुभाग स्तरीय समिति मैनपुर


संजय नेताम
सदस्य जनपद पंचायत
सदस्य, अनुभाग स्तरीय समिति मैनपुर


सहायक संचालक
उदन्ती अभ्यारण्य मैनपुर
सदस्य, अनुभाग स्तरीय समिति मैनपुर


सहायक संचालक
तौरेंगा बफर जोन मैनपुर
सदस्य, अनुभाग स्तरीय समिति मैनपुर


अनुविभागीय अधिकारी (वन)
देवभोग
सदस्य, अनुभाग स्तरीय समिति मैनपुर


मुख्य कार्यपालन अधिकारी (ज.पं.)
मैनपुर
सचिव, अनुभाग स्तरीय समिति मैनपुर


अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
मैनपुर
अध्यक्ष, अनुभाग स्तरीय समिति मैनपुर

ग्राम सभा - छोटे गोबरा की बैठक दिनांक 17.09.2016

कार्यवाही का विवरण

ग्राम छोटे गोबरा स्थान पंचायत भवन

आज दिनांक 17.09.2016 का ग्राम पंचायत छोटे गोबरा के सरपंच श्री/श्रीमति रेखा बाई की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गई। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के सदस्य 50 प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों में चर्चा की गई -

ग्राम छोटे गोबरा में आवेदक कार्यपालन अभियंता (निर्माण), छ0रा0वि0पारे0कं0मर्या0, रायपुर ने (गैर वानिकि कार्य) के लिए वन भूमि में व्यपवर्तन हेतु 22.246 हे0, (कक्ष क0 RF-969, 970, 1055, 1054, 1085) वन भूमि, 0.000 हे0, राजस्व वन भूमि, कुल 22.246 हे0 वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गई।

प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गई।

इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गई जो वन भूमि 132 के.व्ही. विद्युत पारेषण लाईन कार्य के व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी गैर-परम्परागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहें हैं। एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परम्परागत वनवासी को हक प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परम्परागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है :-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकारी मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे0में)
1.	<u>छोटे गोबरा</u>	<u>बिरजुराम / फागुराम</u>	<u>1.900</u>
2.	<u>छोटे गोबरा</u>	<u>जोगेश्वर / स्व.देवसिंग</u>	<u>1.326</u>

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि 22.246 हे० कक्ष क० 969,970,1055,1054 वन भूमि
0.000 हे० राजस्व वन भूमि, कुल योग 22.246 हे० वन भूमि को गैर वानिकी प्रायोजन हेतु मेसर्स टू. रा. वि० पा०
क०० मयि० रायपुर को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

जी नकुमर
ग्रामपंचायत
क०० मयि० रायपुर
जोटे गोबरा

हस्ताक्षर सरपंच

सुखदेव
सरपंच

ग्राम पंचायत ४८ गोबरा
वि. खं. मैनपुर, जि. गंगानगर (छ. ग.)

प्रदर्श 'अ'

कार्यालय ग्राम पंचायत छोटे गोबरा विकासखण्ड मैनपुर

जिला- गारियाबंद

:- अनापत्ति प्रमाण पत्र:-

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित द्वारा ग्राम पंचायत छोटे गोबरा

के आरक्षित वन क्षेत्र में 132 के.व्ही. विद्युत पारेषण लाईन स्थापित करने में हमारे ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः हमारे ग्राम पंचायत के कक्ष क्रमांक RF-969,970, 1055, 1054, 1058 प्रस्तावित रकबा 22.246 हे० आरक्षित वन क्षेत्र में लाईन स्थापना से हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे ग्राम पंचायत में सर्वसम्मती से यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

दिनांक 17.09.2016

जि. न. गुप्ता

**आयुक्त
वन सुरक्षा समिति
छोटे गोबरा**

रेखु बाई
सरपंच
ग्राम पंचायत छोटे गोबरा
वि.खं मैनपुर, जि. गारियाबंद (छ.ग.)

प्रस्ताव

आज दिनांक 17.09.2016 दिन-शनिवार को वन प्रबंधन समिति छोटेगोबरा की आवश्यक बैठक सामुदायिक भवन पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्यों के बीच रखा गया जिसमें ग्राम छोटेगोबरा राजस्व वन भूमि 0.00 हे. एवं वन भूमि 21.246 हे. है, उसमें 132 KV विद्युत लाईन निर्माण हेतु सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है

अध्यक्ष
वन प्रबंधन समिति
छोटेगोबरा

जी. न. कुमार

अध्यक्ष
वन सुरक्षा समिति
छोटे गोबरा

सदस्यों का हस्ताक्षर

रामनाथ

पैसापुरा

मोतीराम

गोवर्धन

देवका वर्मा

जयलाल

रामबाई

विजय

वामनसिंग

बुधराज

विमलानंद

सुदामा पंत

मोतीराम वर्मा

विजय कुमार

प्रस्ताव

आज दिनांक 17.09.2016 दिन-रविवार को वन प्रबंधन समिति कारीपादा, ग्राम पंचायत छोटे गोबरा की आवश्यक बैठक रंग-मंच पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्यों के बीच रखा गया, जिसमें ग्राम कारीपादा राजस्व वन भूमि हे० एवं वन भूमि हे० है, उसमें 132 के० व्ही० विद्युत पोदेछण लाईन निर्माण हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है।

मैकली राण

अध्यक्ष

वन सुरक्षा समिति

कारीपादा

सावित्री बाई

उपाध्यक्ष

ग्राम पंचायत छोटे गोबरा

वि.सं. मैनपुर, जिला गरियाबंद

देवराज साहू

ग्राम पंचायत छोटे गोबरा

वि.सं. मैनपुर, जिला गरियाबंद (उ.प्र.)

सदस्यों का हस्ताक्षर

गोदलाल यादव

धनाराम

जानकी राय

पद्मेश

कैकरी बाई

सुखभानु

सुहृदिनी बाई

विजेश्वरी

ममला

अमीना बाई

अमिता बाई

अनन्दाशु

भीमा बाई

लक्ष्मी देवी

मंगल राम

धनेशवरी

कुमेश्वरी

ग्राम सभा - बोईरगांव की बैठक दिनांक 02/10/2016

कार्यवाही का विवरण

ग्राम बोईरगांव स्थान सभा भवन बोईरगांवआज दिनांक 02/10/2016 का ग्राम पंचायत बोईरगांव के सरपंच श्री/श्रीमति हिरीदी मोक्षी

की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गई। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के सदस्य 70 प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों में चर्चा की गई -

ग्राम बोईरगांव में आवेदक कार्यपालन अभियंता छ0रा0वि0पारे0कं0मर्या0 रायपुर ने (गैर वानिकि कार्य) के लिए वन भूमि में व्यपवर्तन हेतु हे0, कक्ष क0 — वन भूमि, — हे0 राजस्व वन भूमि, कुल 3.039 हे0 वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गई।

प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गई।

इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गई जो वन भूमि 132 के.व्ही. विद्युत पारेषण लाइन कार्य के व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी गैर-परम्परागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं। एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परम्परागत वनवासी को हक प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परम्परागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है :-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकारी मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे0में)
1.	बोईरगांव	साधुलाल/लुलाराम गोंड	0.20
2.		लछिन्द्र साव/गजेन्द्र गोंड	0.27
3.		सगरिया/रघुनाथ गोंड	0.15
4.		जगराम/सगरिया गोंड	0.25
5.		सुकलाल/जरहा गोंड	0.22
6.		पुनारद/लखमु गोंड	0.223
7.		भानू/पुनारद गोंड	0.190
8.		सुखरु/लखीराम कुमार	0.25
9.		लच्छन/भागीरथी गोंड	0.27
10.		जगमोहन/सुखराम गोंड	0.29
11.		मंगल/दर्शन	0.09
12.		हजारु/रामचन्द्र	0.05
13.		महगु/बोंगा	0.07
14.		खेलन/कन्हैया	0.03
		कुल	2.553

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि.....हे०, कक्ष क०..... वन भूमि
.....हे०, राजस्व वन भूमि कुल योग 3.039.....हे० वन भूमि को गैर वानिकी प्रायोजन हेतु मेसर्स ब०.श०.वि०
पोरे०.के०.मर्मा.राय को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

गोविंदराव

अध्यक्ष
वन प्रबंधन समिति
बोर्ड माँव

धौदी माँझी
सरपंच

ग्रहस्ताक्षरतत्सर्वस्वांठ
ज.प. मैन्पुर, जि. गारियानंद (छ.ग.)

प्रस्ताव

आज दिनांक 02/10/2016 दिन शनिवार को वन प्रबंधन समिति बोईरगांव की आवश्यक बैठक ग्राम पंचायत भवन पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्यों के बीच रखा गया जिसमें ग्राम बोईरगांव की वन भूमि - हेक्टेर एवं राजस्व वनभूमि 3.039 हेक्टेर हैं, उसमें 132 के.वी. विद्युत पारेवण लाईन निर्माण हेतु सर्व सहमति से प्रस्ताव पारित किया गया है।



वन प्रबंधन समिति
बोईरगांव

सदस्यों के हस्ताक्षर

दुत वारु राम

मुकर सिंह

चेतन सिंह



मुकेश सिंह
राम सिंह



कार्यालय ग्राम पंचायत बोईरगांव विकासखण्ड मैनपुर

जिला- गारियाबंद (छ.ग.)

:- अनापत्ति प्रमाण पत्र:-

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेक्षण कम्पनी मर्यादित द्वारा ग्राम पंचायत बोईरगांव

के राजख वन क्षेत्र में 132 के.व्ही. विद्युत पारेक्षण लाईन स्थापित करने में हमारे ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः हमारे ग्राम पंचायत के कक्ष क्रमांक — प्रस्तावित रकबा 3.039 हे०

राजख वन क्षेत्र में लाईन स्थापना से हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे ग्राम पंचायत में सर्वसम्मती से यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

दिनांक 02/10/16

गो. वि. गाँव
अध्यक्ष
वन प्रबंधन समिति
बोईरगांव

धिरौदी मांक्षी
सरपंच

ग्राम पंचायत बोईरगांव
सरपंच
ज.प्र. मैनपुर, जिला गारियाबंद (छ.ग.)

ग्राम सभा - बोरिंगोव की बैठक दिनांक 02/10/2016

कार्यवाही का विवरण

ग्राम पथरी स्थान सभा भवन बोरिंगोवआज दिनांक 02/10/2016 का ग्राम पंचायत बोरिंगोव के सरपंच श्री/श्रीमति हिरीदी मोदी

की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गई। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के सदस्य 70 प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों में चर्चा की गई -

ग्राम पथरी में आवेदक कार्यपालन अभियंता छ0रा0वि0पारे0कं0मर्या0 रायपुर ने (गैर वानिकि कार्य) के लिए वन भूमि में व्यपवर्तन हेतु 4.501 हे0, कक्ष क0 1060 वन भूमि, 3.703 हे0 राजस्व वन भूमि, कुल 8.604 हे0 वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गई।

प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गई।

इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गई जो वन भूमि 132 के.व्ही. विद्युत पारेषण लाईन कार्य के व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी गैर-परम्परागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहें हैं। एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परम्परागत वनवासी को हक प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परम्परागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है :-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकारी मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे0में)
1.	पथरी	चतुरसिंग	1.0
2.		रविशंकर / विष्णु	0.3
3.		राधेश्याम / श्याम लाल	0.05
4.		मोहन / बुधराम	0.70
5.		डोमार / जयलाल	0.05
6.		जयलाल / विश्राम	0.05
7.		पीलाराम / घासीराम	0.003
8.		शंकरलाल / उमेन्द्रसिंग	0.06
9.		कोशींगलाल / करणसिंग	0.465
10.		मयाराम / कोमल	0.1
11.		त्रिलोक / कचरु	0.465
12.		कालेन्द्री / तिहारु	0.46
		कुल	3.703

११०
द्वितीय भाग
संस्कृत
हस्ताक्षर संस्कृत
ग्राम प्रयागल वाइनाठ
ज.प्र. मैन्पुर, जि. ग. गरियाबंद (छ.ग.)

महाराष्ट्र
अध्यक्ष
वन प्रबंधन समिति
- पंथरी -

पुस्तक

मात्र दिनांक 02/10/2016 दिन रविवार को वन प्रबंधन
समिति पथरी की आवश्यक बैठक शाखा परिसर पर
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्यो के बीच
रखा गया जिसमें ग्राम पथरी की वन भूमि 4.901
हेक्टेर एवं राजस्व वन भूमि 3.703 हेक्टेर है, उसमें
132 के.सी. विद्युत परीक्षण लाइन निमिति हेतु सर्व
सहमति से पुस्तक पारित किया गया है।

अध्यक्ष
वन प्रबंधन समिति
पथरी

सदस्यो के हस्ताक्षर
जमु नावाड़ी उपाध्यक्ष

मकदेडा

मधुराम

अस्तला बाई

राजवाड़ी

अनपुआ

कोमल सिंह

ठा.शु.राम

देवलाल

धनकाय डूक

कचराम

प्रदर्श 'अ'

कार्यालय ग्राम पंचायत...बोरिंगांव विकासखण्ड...मेनपुर...

जिला-...गारियाबंद (छ.ग.)

—: अनापत्ति प्रमाण पत्र:—

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेशन कम्पनी मर्यादित द्वारा ग्राम पंचायत...बोरिंगांव (पचरी)

के...आरक्षित/राजस्व वन क्षेत्र में 132 के.व्ही. विद्युत पारेशन लाईन स्थापित करने में हमारे ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः हमारे ग्राम पंचायत के कक्ष क्रमांक...1060, 1061... प्रस्तावित रकबा...8.604 हे०...आरक्षित / राजस्व... वन क्षेत्र में लाईन स्थापना से हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे ग्राम पंचायत में सर्वसम्मती से यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

दिनांक...02/10/2016

धिरेंदी मांशी

सरपंच

ग्राम पंचायत बोरिंगांव
ज.प. मेनपुर, जिला गारियाबंद (छ.ग.)

महेश्वर

अध्यक्ष

वन प्रबंधन समिति

पचरी

प्रदीप

सचिव/परिसर रक्षी

वन प्रबंधन समिति

पचरी

ग्राम सभा - बोरिंगोव की बैठक दिनांक 02.10.2016

कार्यवाही का विवरण

ग्राम बेहराडीह स्थान सभा भवन बोरिंगोव

आज दिनांक 02.10.2016 का ग्राम पंचायत बोरिंगोव के सरपंच श्री/श्रीमति हिरोदी मोक्षी की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गई। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के सदस्य 70 प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों में चर्चा की गई -

ग्राम बेहराडीह में आवेदक कार्यपालन अभियंता (निर्माण), छ0रा0वि0पारे0कं0मर्या0, रायपुर ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि में व्यपवर्तन हेतु 10.640 हे0, (कक्ष क0 1038, 1036) वन भूमि, 9.777 हे0, राजस्व वन भूमि, कुल 0.913 हे0 वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गई।

प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गई।

इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गई जो वन भूमि 132 के.व्ही. विद्युत पारेषण लाईन कार्य के व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी गैर-परम्परागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहें हैं। एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परम्परागत वनवासी को हक प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परम्परागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है :-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकारी मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे0में)
1.	<u>बेहराडीह</u>	<u>राम / बोरिंगा</u>	<u>0.050</u>
2.		<u>मुजनु / बोरिंगा</u>	<u>0.040</u>
3.		<u>लखन / डमरु</u>	<u>0.113</u>
4.		<u>बरनुराम / जेठुराम</u>	<u>0.660</u>

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि 10.6.90 हे० कक्ष क० 1078, 1076, वन भूमि 9.777 हे०, राजस्व वन भूमि कुल योग 0.513 हे०, वन भूमि को गैर वानिकी प्रायोजन हेतु मेसर्स ए०.ए०.वि० पारे० मर्फी.राय.ए० को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

हिरोंदीमांझी
सरपंच

कृष्णधरदाससाईगांव
ज.प्र. नैनपुर, जिला गरियाबंद (छ.ग.)

रामसिंह
अध्यक्ष
वन प्रबंधन समिति बेठवांड
जिला - गरियाबंद (छ.ग.)

प्रस्ताव

आज दिनांक 02/10/2016 दिन रविवार को वन प्रबंधन समिति बेहराडीह की आतश्यक बैठक शाला परिसर में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्यो के बीच रखा गया जिसमें ग्राम बेहराडीह की वन भूमि 9.777 हेक्टेयर एवं राजस्व वन भूमि 0.913 हेक्टेयर है उसमें 132 के०सी० विद्युत पारेषण लाइन निर्माण हेतु सर्वे सटमरि से प्रस्ताव पारित किया गया है।

सदस्यों के हस्ताक्षर

रामकिशोर
अध्यक्ष
वन प्रबंधन समिति बेहराडीह
जिला - गोरखपुर (उ.प्र.)

- ① शंभुराम/रघुराम कमाए शंभुराम
- ② सोपसिंह/दसरु कमाए सोपसिंग
- ③ सुखरु राम/लखीराम सुखराम
- ④ बाबूलाल/लखरु कमाए Babulal
- ⑤ दयालु राम/बजाउ राम दयालु

प्रदर्श 'अ'

कार्यालय ग्राम पंचायत बोईरगांव विकासखण्ड मैनपुर

जिला- गरियाबंद (छ.ग.)

:- अनापत्ति प्रमाण पत्र:-

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेशन कम्पनी मर्यादित द्वारा ग्राम पंचायत बोईरगांव (बेहराडीह) के भारद्वाज/राज्य वन क्षेत्र में 132 के.व्ही. विद्युत पारेशन लाइन स्थापित करने में हमारे ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः हमारे ग्राम पंचायत के कक्ष क्रमांक 1078, 1076 प्रस्तावित रकबा 10.690 हे० भारद्वाज/राज्य वन क्षेत्र में लाइन स्थापना से हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे ग्राम पंचायत में सर्वसम्मती से यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

दिनांक 02.11.2016

हिरौंदीमांझी
सरपंच

ग्रामपंचायत बोईरगांव
ज.प्र. मैनपुर, जिला गरियाबंद (छ.ग.)


सचिव
वन प्रबंधन समिति बेहराडीह
जिला - गरियाबंद (छ.ग.)

ग्राम सभा - बोईरगांव की बैठक दिनांक 02.10.2016

कार्यवाही का विवरण

ग्राम डुमरघाट स्थान बोईरगांव

आज दिनांक 02.10.2016 का ग्राम पंचायत बोईरगांव के सरपंच श्री/श्रीमति हिरोंदी मांझी की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गई। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के सदस्य 70 प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों में चर्चा की गई -

ग्राम डुमरघाट में आवेदक कार्यपालन अभियंता (निर्माण), छ0रा0वि0पारे0कं0मर्या0, रायपुर ने (गैर वानिकि कार्य) के लिए वन भूमि में व्यपवर्तन हेतु 0.886 हे0, (कक्ष क0 RF-1091) वन भूमि, 0.000 हे0, राजस्व वन भूमि, कुल 0.886 हे0 वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गई।

प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गई।

इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गई जो वन भूमि 132 के.व्ही. विद्युत पारेषण लाईन कार्य के व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी गैर-परम्परागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहें हैं। एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परम्परागत वनवासी को हक प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परम्परागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है :-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकारी मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे0में)
	<u>डुमरघाट</u>	<u>निरंक</u>	<u>निरंक</u>

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि.....0.886 हे० कक्ष क० RF 1091..... वन भूमि
.....हे० राजस्व वन भूमि कुल योग.....0.886.....हे० वन भूमि को गैर वानिकी प्रायोजन हेतु मेसर्स.....ब० रा० वि०
पारे लेंगे मर्दाना को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यवहृत की जावे।

रुखी राश

अध्यक्ष
वन प्रबंधन समिति
उमरगांव

दिवादी मांशी
सरपंच
हस्ताक्षर सरपंच
ज.प. नैनपुर, जि. ग. ग. ग. ग. (उ.ग.)

प्रस्ताव

आज दिनांक 02/10/2016 दिन रविवार को तब प्रबंधन समिति डुमरघाट की आवश्यक बैठक रंगमंच भवन में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कार्यकारी सदस्यो के बीच रखा गया जिसमें ग्राम डुमरघाट की तब भूमि 0.886 हेक्टे. एवं राजस्वत भूमि 0.00 हेक्टे. है उसमें 132 के वी. विद्युत परिष्ठा लाइन निर्माण हेतु सभी सहमति से प्रस्ताव पारित किया गया है।

सुखी राश

स. अध्यक्ष

स. कार्यकारी समिति

स. अध्यक्ष

स. कार्यकारी समिति

सदस्यो के हस्ताक्षर

रामेश्वर

सुनायन

ठाकुरदास

नन्दलाल

अर्जुन सिंह

मेलक

कैलाश

वीरनरेश

हंसाक

प्रदर्श 'अ'

कार्यालय ग्राम पंचायत बोरिंगांव विकासखण्ड मैनपुर

जिला- गारियाबंद (छ.ग.)

:- अनापत्ति प्रमाण पत्र:-

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेक्षण कम्पनी मर्यादित द्वारा ग्राम पंचायत बोरिंगांव (डुमरघाट)
के भाराक्षित वन क्षेत्र में 132 के.व्ही. विद्युत पारेक्षण लाईन स्थापित करने में हमारे ग्राम पंचायत
को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः हमारे ग्राम पंचायत के कक्ष क्रमांक RF-1691 प्रस्तावित रकबा 0.886 हे०
भाराक्षित वन क्षेत्र में लाईन स्थापना से हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे ग्राम पंचायत में सर्वसम्मती
से यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

दिनांक.....

सुखी शर्मा

अध्यक्ष
वन प्रबंधन समिति
डुमरघाट

धिरेंद्र मोदी
सरपंच

ग्राम पंचायत बोरिंगांव
ज.प. मैनपुर, जिला गारियाबंद (छ.ग.)

ग्राम सभा - तोरेगा की बैठक दिनांक 05/10/16

कार्यवाही का विवरण

ग्राम जुगाड़ स्थान ग्राम पंचायत

आज दिनांक 05/10/16 का ग्राम पंचायत तोरेगा के सरपंच श्री/श्रीमति वनसिंग सोरी की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गई। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के सदस्य 70 प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों में चर्चा की गई -

ग्राम जुगाड़ में आवेदक कार्यपालन अभियंता (निर्माण), छ0रा0वि0पारे0कं0मर्या0, रायपुर ने (गैर वानिकि कार्य) के लिए वन भूमि में व्यपवर्तन हेतु 19.838 हे0, (कक्ष क0 84, 89) वन भूमि, 11.843 हे0, राजस्व वन भूमि, कुल 7.995 हे0 वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गई।

प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गई।

इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गई जो वन भूमि 132 के.व्ही. विद्युत पारेषण लाईन कार्य के व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी गैर-परम्परागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहें हैं। एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परम्परागत वनवासी को हक प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

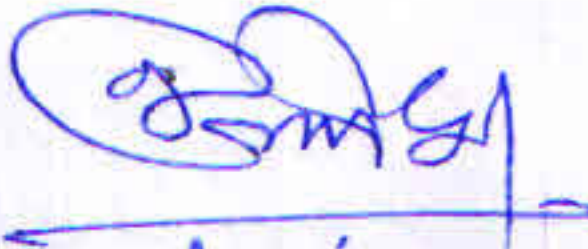
अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परम्परागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है :-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकारी मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे0में)
	<u>जुगाड़</u>	<u>महेश कुमार/जयराम</u>	<u>0.060</u>
		<u>डमरु</u>	<u>0.044</u>
		<u>नीलाम्बर</u>	<u>0.070</u>
		<u>राजीवो</u>	<u>0.080</u>

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि 19.848 हे० कक्ष को 84.89 वन भूमि 11.843 हे० राजस्व वन भूमि कुल योग 7.895 हे० वन भूमि को गैर वानिकी प्रायोजन हेतु मेसर्स ए.रा.वि. पी० कं० मय्या. रायपुर को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।


हस्ताक्षर सरपंच
ग्राम पंचायत तौरंगा
वि.स्व.-भैनपुर, गरियाबंद (छ.ग.)


05/0 अ.प.स.
वन प्रबंधन समिति
जुलै 15

[illegible]

क्रमांक

दिनांक

सत्य प्रतिलिपि

साचिव

ग्राम पंचायत-

प्रस्ताव

आज दिनांक 05/10/2016 दिन बुधवार को वन प्रबंधन समिति गुगाड़ की आवश्यक बैठक ग्राम पंचायत तौरंगा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्यों की नीय रखा गया जिसमें ग्राम गुगाड़ की वन भूमि 11.843 हेक्टेर एवं बाजार वन भूमि न. 995 हेक्टेर है उसमें 132 कि० वी० विद्युत पारेषण लाइन निम्नलिखित हेतु सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है।

सदस्यों की हस्ताक्षर


05/10/2016
वन प्रबंधन समिति
गुगाड़

- ① बालीकेश
- ② शिवप्रसाद
- ③ टेकराम
- ④ ईश्वरप्रसाद
- ⑤ कुमारी
- ⑥ अनुर
- ⑦ राममन

कार्यालय ग्राम पंचायत तोरिंगा विकासखण्ड मैनपुर

जिला- गारियाबंद (छ.ग.)

—: अनापत्ति प्रमाण पत्र:—

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित द्वारा ग्राम पंचायत तोरिंगा (जुगाड)

के आरक्षित/राजस्त वन क्षेत्र में 132 के.व्ही. विद्युत पारेषण लाईन स्थापित करने में हमारे ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः हमारे ग्राम पंचायत के कक्ष क्रमांक 84, 89 प्रस्तावित रकबा 19.838 हे० आरक्षित/राजस्त वन क्षेत्र में लाईन स्थापना से हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे ग्राम पंचायत में सर्वसम्मती से यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

दिनांक 05/10/16


अध्यक्ष
वन प्रबंधन समिति
जुगाड


सरप्रच
ग्राम पंचायत तोरिंगा
वि.ख.-मैनपुर, गारियाबंद (छ.ग.)

ग्राम सभा - तोरेगा की बैठक दिनांक 05/10/2016

कार्यवाही का विवरण

ग्राम कोदोमाडी स्थान ग्राम पंचायत तोरेगाआज दिनांक 05/10/2016 का ग्राम पंचायत तोरेगा के सरपंच श्री/श्रीमति बनारसिंग तोरे

की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गई। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के सदस्य 70 प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों में चर्चा की गई -

ग्राम कोदोमाडी में आवेदक कार्यपालन अभियंता (निर्माण), छ0रा0वि0पारे0कं0मर्या0, रायपुर ने (गैर वानिकि कार्य) के लिए वन भूमि में व्यपवर्तन हेतु 6.853 हे0, (कक्ष क0 1104) वन भूमि, x हे0, राजस्व वन भूमि, कुल x हे0 वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गई।

प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गई।

इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गई जो वन भूमि 132 के.व्ही. विद्युत पारेषण लाईन कार्य के व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी गैर-परम्परागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं। एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परम्परागत वनवासी को हक प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परम्परागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है :-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकारी मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे0में)
	<u>निरंक</u>	<u>निरंक</u>	<u>निरंक</u>

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि 6.853 हे० कक्ष क० 1104 वन भूमि

हे० राजस्व वन भूमि कुल योग ~~.....~~ हे० वन भूमि को गैर वानिकी प्रायोजन हेतु मेसर्स ~~.....~~ वि०

पारे० रु० ० म० रा० को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

हाल सिंग
अध्यक्ष

वन प्रबंधन समिति
कोसेमाली


सचिव
हस्ताक्षर प्राप्त
ग्राम पंचायत तीरंगा
वि.सं.-मैनपुर, गरियाबंद (छ.ग.)

प्रस्ताव

आज दिनांक 05/10/2016 दिन बुधवार को लाल प्रबंधन
समिति कोदेमाली की आलखु बोंठु ग्राम पंचायत तौरिका
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्यो के
बीच रखा गया जिसमें ग्राम कोदेमाली की
वन भूमि 6.853 हेक्टेर एवं वाजस्तवनभूमि -
हेक्टेर है उसमें 132 कि. वी. विद्युत परिचालन
ले लाई निर्माण हेतु सर्व सम्मति से
प्रस्ताव पारित किया गया है।

लाल खिगा

अध्यक्ष
वन प्रबंधन समिति
कोदेमाली

सदस्यो के हस्ताक्षर

बाली शर्मा

प्रा. शी. शा

जैमदास

शबन

महेश

पद्मा

रामका

प्रदर्श 'अ'

कार्यालय ग्राम पंचायत...तेरिंगा... विकासखण्ड...मैनपुर...

जिला-गरियाबंद (छ.ग.)

-: अनापत्ति प्रमाण पत्र:-

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित द्वारा ग्राम पंचायत...तेरिंगा (कोदोमाली)
के...भारक्षित... वन क्षेत्र में 132 के.व्ही. विद्युत पारेषण लाईन स्थापित करने में हमारे ग्राम पंचायत
को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः हमारे ग्राम पंचायत के कक्ष क्रमांक...1104... प्रस्तावित रकबा...6.853 हे०...भारक्षित
... वन क्षेत्र में लाईन स्थापना से हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे ग्राम पंचायत में सर्वसम्मती से
यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

दिनांक...05/10/16


सरपंच
ग्राम पंचायत तेरिंगा
वि.ख.-मैनपुर, गरियाबंद (छ.ग.)


अध्यक्ष
वन प्रबंधन समिति
कोदोमाली

ग्राम सभा - तोरेगा की बैठक दिनांक 05/10/2016

कार्यवाही का विवरण

ग्राम तोरेगा स्थान ग्राम पंचायत तोरेगाआज दिनांक 05/10/2016 का ग्राम पंचायत तोरेगा के सरपंच श्री/श्रीमति बनारीग मोरी

की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गई। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के सदस्य प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों में चर्चा की गई -

ग्राम तोरेगा में आवेदक कार्यपालन अभियंता (निर्माण), छ0रा0वि0पारे0कं0मर्या0, रायपुर ने (गैर वानिकि कार्य) के लिए वन भूमि में व्यपवर्तन हेतु 6.508 हे0, (कक्ष क0 1105-1106) वन भूमि, हे0, राजस्व वन भूमि, कुल हे0 वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गई।

प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गई।

इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गई जो वन भूमि 132 के.व्ही. विद्युत पारेषण लाईन कार्य के व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी गैर-परम्परागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहें हैं। एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परम्परागत वनवासी को हक प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परम्परागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है :-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकारी मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे0में)
-	<u>निरैक</u>	<u>निरैक</u>	<u>निरैक</u>

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि 6:508 हे० कक्ष क० 1104, 1105, 1106 वन भूमि

* हे० राजस्व वन भूमि कुल योग * हे० वन भूमि को गैर वानिकी प्रायोजन हेतु मेसर्स छ० रा० वि० पारे०
छ० रा० रायपुर को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यववर्तित की जावे।

अध्यक्ष वन प्रबंधन समिति लोहरांग

महेश्वर सिंह सोरी

अध्यक्ष
वन प्रबंधन समिति
लोहरांग


महेश्वर
हस्ताक्षर सरपंच
ग्राम पंचायत लोहरांग
वि.स्व.-भैनपुर, गरियाबंद (छ.ग.)

प्रस्ताव

आज दिनांक 05/10/2016 दिन बुधवार को वन प्रबंधन समिति तौरंगा की आवश्यक बैठक ग्राम पंचायत तौरंगा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्यो के बीच रखा गया जिसमें ग्राम तौरंगा की वन भूमि 6.508 हेक्टे. एवं बाजारबनभूमि - हेक्टे. है इसमें 132 के.वी. विद्युत परियोजना लाईन निर्माण हेतु सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है।

अध्यक्ष

लखनसिंह सोरी

वन प्रबंधन समिति

ता. तौरंगा

उपाध्यक्ष

चुचिधानाई

मेहर

सदस्यो के हस्ताक्षर

(1) जनकजी

(2) मेहरा

(3) पगडू

(4) कुलारम

(5) घासीराम सोदी

(6) देवराई

(7) सुफदेव

(8) कुमल

(9)

कार्यालय ग्राम पंचायत...तोरेगा... विकासखण्ड...मैनपुर...

जिला-गरियाबंद (ब.ग.)

—: अनापत्ति प्रमाण पत्र:—

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित द्वारा ग्राम पंचायत...तोरेगा...

के...भाराक्षित... वन क्षेत्र में 132 के.व्ही. विद्युत पारेषण लाईन स्थापित करने में हमारे ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः हमारे ग्राम पंचायत के कक्ष क्रमांक...1105/1106... प्रस्तावित रकबा...6.508 हे०...भाराक्षित... वन क्षेत्र में लाईन स्थापना से हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे ग्राम पंचायत में सर्वसम्मती से यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

दिनांक...05/10/2016


सरपंच
ग्राम पंचायत तोरेगा
वि.ख.-मैनपुर, गरियाबंद (छ.ग.)

वन प्रबंधन समिति तोरेगा

लक्ष्मणसिंह मोदी

अध्यक्ष
वन प्रबंधन समिति
तोरेगा

ग्राम सभा - कोयबा की बैठक दिनांक 16/09/2016

कार्यवाही का विवरण

ग्राम कोयबा स्थान ग्राम पंचायत

आज दिनांक 16/09/2016 का ग्राम पंचायत कोयबा के सरपंच श्री/श्रीमति बेलमति की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गई। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के सदस्य १० प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों में चर्चा की गई -

ग्राम कोयबा में आवेदक छोराविपारेकमर्या रायपुर ने (गैर वानिकि कार्य) के लिए वन भूमि में व्यपवर्तन हेतु ५.४०५ हे०, कक्ष क० २९ वन भूमि, १.१५५ हे० राजस्व वन भूमि, कुल ४.२१० है वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गई।

प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गई।

इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम २००६ के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गई जो वन भूमि १३२ के.व्ही. विद्युत पारेषण लाईन कार्य के व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी गैर-परम्परागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं। एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परम्परागत वनवासी को हक प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परम्परागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है :-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकारी मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे०में)
1.	कोयबा	रायमती/पुनीतराम रावत	0.744
2.		घनश्याम	0.321
3.		संतोष/रामप्रसाद	0.324
4.		बालसिंग	0.24
5.		दीपसिंग	0.246
6.		रोहनी	0.242
7.		धनीराम	0.284
8.		रामचन्द्र	0.070
9.		जगदीश/रामसिंह रावत	0.080
10.		हेमलाल/रामसिंग	0.065
11.		चंदर/बंशी रावत	0.085
		कुल	2.701

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि 5.405 हे० कक्ष क० 29 वन भूमि
1.155 हे० राजस्व वन भूमि कुल योग 4.210 हे० वन भूमि को गैर वानिकी प्रायोजन हेतु मेसर्स ७०१० वि०
पारे ० क० ० ० को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यववर्तित की जावे।

कृष्ण कुमार मेडाली
अध्यक्ष
वन सुरक्षा समिति
कोयबा

बेताम ति
हस्ताक्षर सरपंच
ग्राम पंचायत कोयबा
दि. ख. - मैनपुर, गरियाबट (छ. प्र.)

पं

कार्यालय, ग्राम पंचायत तेहसल -- तहसील -- मेनपुर -- जिला -- गोरखा -- बैठक की कार्यवाही नकल

दिनांक 16/09/2016

विकासखण्ड -- मेनपुर -- तहसील -- मेनपुर -- जिला -- गोरखा -- बैठक की कार्यवाही नकल

क्र.	उपस्थित पंचों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर
(1)	प्रो.म.न.लेखन	प्रस्ताव	दिनांक 16/09/2016 के अंतिम बैठक में ग्रामसभा का आयोजन किया गया जिसमें चर्चा के द्वारा निर्णय लिया गया कि नजदीक से इन्फ्रास्ट्रक्चर-132 KV विद्युत परीक्षण लाइन निर्माण करने हेतु कार्य पालन अभियान प्रारम्भ करें।	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर
(2)	श्री दीप चंद शास्त्री	वर्ग	132 KV विद्युत परीक्षण लाइन निर्माण करने हेतु कार्य पालन अभियान प्रारम्भ करें।	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर
(3)	कैलाश	सदस्य	132 KV विद्युत परीक्षण लाइन निर्माण करने हेतु कार्य पालन अभियान प्रारम्भ करें।	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर
(4)	योगेश	सदस्य	132 KV विद्युत परीक्षण लाइन निर्माण करने हेतु कार्य पालन अभियान प्रारम्भ करें।	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर
(5)	जलसाय	सदस्य	132 KV विद्युत परीक्षण लाइन निर्माण करने हेतु कार्य पालन अभियान प्रारम्भ करें।	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर
(6)	टिकम सिंह	सदस्य	132 KV विद्युत परीक्षण लाइन निर्माण करने हेतु कार्य पालन अभियान प्रारम्भ करें।	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर
(7)	बनसिंह	सदस्य	132 KV विद्युत परीक्षण लाइन निर्माण करने हेतु कार्य पालन अभियान प्रारम्भ करें।	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर
(8)	हरिहर	सदस्य	132 KV विद्युत परीक्षण लाइन निर्माण करने हेतु कार्य पालन अभियान प्रारम्भ करें।	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर
(9)	रिश्वात	सदस्य	132 KV विद्युत परीक्षण लाइन निर्माण करने हेतु कार्य पालन अभियान प्रारम्भ करें।	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर
(10)	मुलाय	सदस्य	132 KV विद्युत परीक्षण लाइन निर्माण करने हेतु कार्य पालन अभियान प्रारम्भ करें।	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर
(11)	लालिन	सदस्य	132 KV विद्युत परीक्षण लाइन निर्माण करने हेतु कार्य पालन अभियान प्रारम्भ करें।	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर
(12)	राजमल	सदस्य	132 KV विद्युत परीक्षण लाइन निर्माण करने हेतु कार्य पालन अभियान प्रारम्भ करें।	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर
(13)	आशाशम	सदस्य	132 KV विद्युत परीक्षण लाइन निर्माण करने हेतु कार्य पालन अभियान प्रारम्भ करें।	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर
(14)	अर्जुन	सदस्य	132 KV विद्युत परीक्षण लाइन निर्माण करने हेतु कार्य पालन अभियान प्रारम्भ करें।	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर
(15)	मनसाय	सदस्य	132 KV विद्युत परीक्षण लाइन निर्माण करने हेतु कार्य पालन अभियान प्रारम्भ करें।	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर
(16)	रामधर	सदस्य	132 KV विद्युत परीक्षण लाइन निर्माण करने हेतु कार्य पालन अभियान प्रारम्भ करें।	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर
(17)	अमर	सदस्य	132 KV विद्युत परीक्षण लाइन निर्माण करने हेतु कार्य पालन अभियान प्रारम्भ करें।	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर
(18)	उपरिधति	सदस्य	132 KV विद्युत परीक्षण लाइन निर्माण करने हेतु कार्य पालन अभियान प्रारम्भ करें।	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर

सत्यप्रतिलिपि
सत्यप्रतिलिपि
ग्राम पंचायत कोयला पंचायत
वि.सं. मेनपुर, जिला गोरखा (छ.ग.)
वि.सं. मेनपुर, गोरखा (छ.ग.)

प्रस्ताव

आज दिनांक 27-09-16 दिन - गुरुवार को वन प्रबंधन समिति कोयबा की आवश्यक बैठक पंचायत भवन पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कार्यभारिणी सदस्यों के बीच रखा गया जिसमें ग्राम कोयबा वन भूमि हे. एवं वन भूमि इसमें 132 के.व्ही. विद्युत गोदमन लाईन निर्माण हेतु सर्वहम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है

अध्यक्ष
वन प्रबंधन समिति

वृष्ण कुमार भंडारी
अध्यक्ष
वन सुरक्षा समिति
कोयबा

सदस्यों का हस्ताक्षर

~~राजकुमार~~
राजकुमार
कंचनसिंह
प्रसन्न
राजेश्वर
देवराज
Ran/Ram
कुंजराकर
का

प्रदर्श 'अ'

कार्यालय ग्राम पंचायत कोयबा विकासखण्ड भैरवपुर

जिला- गरियाबंद

:- अनापत्ति प्रमाण पत्र:-

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित द्वारा ग्राम पंचायत कोयबा

के भारती/राजव वन क्षेत्र में 132 के.वी. विद्युत पारेषण लाईन स्थापित करने में हमारे ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः हमारे ग्राम पंचायत के कक्ष क्रमांक 29 प्रस्तावित रकबा 5.405 हे० भारती राजव वन क्षेत्र में लाईन स्थापना से हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे ग्राम पंचायत में सर्वसम्मती से यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

दिनांक 29/09/16

शुभा कुमारी मंडवी
अध्यक्ष
वन सुरक्षा समिति
कोयबा

वेदमति
सरपंच
ग्राम पंचायत कोयबा
दे.ख.-भैरवपुर, गरियाबंद (छ.ग.)
29/9/2016

ग्राम सभा - अड़गरी की बैठक दिनांक 20.09.2016

कार्यवाही का विवरण

ग्राम अड़गरी स्थान पंचायत भवन

आज दिनांक 20.09.2016 का ग्राम पंचायत अड़गरी के सरपंच श्री/श्रीमति खेमि बई

की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गई। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के सदस्य 50 प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों में चर्चा की गई -

ग्राम अड़गरी में आवेदक कार्यपालन अभियंता (नि.) क. रा. वि. पारे. कं. भया. रायपुर ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि में व्यपवर्तन हेतु 12.927 हे०, कक्ष क० 1102 वन भूमि हे०, राजस्व वन भूमि कुल ४ है वन भूमि की मांग की गई है। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गई।

प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गई।

इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गई जो वन भूमि 132 के.व्ही. विद्युत पारेषण लाइन कार्य के व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी गैर-परम्परागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं। एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परम्परागत वनवासी को हक प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परम्परागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है :-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकारी मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे०में)
1.			

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया कि 12.927 हे० कक्ष क० 1102 वन भूमि हे० राजस्व वन भूमि कुल योग हे० वन भूमि को गैर वानिकी प्रायोजन हेतु मेसर्स कार्यपालन अभियंता (नि.) क. रा. वि. पारे. कं. भया. रायपुर को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

वसुधै दशम भूकाम
अध्यक्ष / सचिव
वन प्रबंधन समिति
अड़गरी

सचिव
ग्राम पंचायत अड़गरी

खेमि बई
सरपंच
ग्राम पंचायत अड़गरी
वि.सं. अड़गरी सरपंच

प्रदर्श 'अ'

कार्यालय ग्राम पंचायत अड़गरी विकासखण्ड मैनपुर

जिला- हारियाबंद

—: अनापत्ति प्रमाण पत्र:—

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित द्वारा ग्राम पंचायत अड़गरी

के भाराक्षित वन क्षेत्र में 132 के.व्ही. विद्युत पारेषण लाईन स्थापित करने में हमारे ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः हमारे ग्राम पंचायत के कक्ष क्रमांक 1112/1109 प्रस्तावित रकबा 12.927 हे०

भाराक्षित वन क्षेत्र में लाईन स्थापना से हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे ग्राम पंचायत में सर्वसम्मती से यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

बेबे मिर्बाट्टी
सरपंच

ग्राम पंचायत अड़गरी
वि.खं.-मैनपुर, जि.-हारियाबंद(छ.ग.)

सरपंच

दिनांक 20.09.2016

वसुंधरा मरकाम

अध्यक्ष / सचिव

वन प्रबंधन समिति

अड़गरी

प्रस्ताव

आज दिनांक 29.09.16 दिन-गुन्नाद को वन प्रबंधन समिति अड़गड़ी की आवश्यक बैठक पंचायत भवन पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्यों के बीच रखा गया, जिसमें ग्राम अड़गड़ी वन भूमि 12.927 हे. एवं राजस्व वन भूमि - हे. हैं, इसमें 132 KV विद्युत पोदेसन लाईन निर्माण हेतु सर्व समिति से प्रस्ताव पारित किया है। कल क्रमांक - 1105.1112

अध्यक्ष
वन प्रबंधन समिति
अड़गड़ी

श्री दरम मरकाम

अध्यक्ष / सचिव
वन प्रबंधन समिति
अड़गड़ी

सदस्यों का हस्ताक्षर

सुकूरु
देविल कुमार

श्रीराम

बेबिन बाई

कुललल

बलिराम

पुनीनराम

अगाशम

ककुमु

दयानिहं

श. (नि)
र

क्रमांक

दिनांक २०/१/०६

पर्यालय, ग्राम पंचायत

32512

वि. खं. मेन्फु

तहसील

२४५

जिना २७/१२/१९१६

क्र.	उपस्थित पंचों के नाम	विषय (प्रस्ताव)	बैठक की संक्षिप्त में कार्यवाही	प्रस्ताव जो पारित हुआ	पंचों के हस्ताक्षर
01	श्रीमती खेकरी नृपधर प्रस्ताव	कमर्चा	दिनांक २०.०९.२०१६ को प्र. ०१	सर्व सम्मति से	सह
02	सरपंच	०५	उत्तरांचल राज्य की आर्थिक स्थिति	सर्व सम्मति से	
03	श्रीमती काबुर	बन प्रमोद १३२५५	राज्य सरकार का आर्थिक स्थिति	सर्व सम्मति से	
04	प्रमोद पंच	विष्णु पानेकर	राज्य सरकार का आर्थिक स्थिति	सर्व सम्मति से	
05	श्रीमती काबुर	विष्णु पानेकर	राज्य सरकार का आर्थिक स्थिति	सर्व सम्मति से	
06	श्रीमती काबुर	विष्णु पानेकर	राज्य सरकार का आर्थिक स्थिति	सर्व सम्मति से	
07	श्रीमती काबुर	विष्णु पानेकर	राज्य सरकार का आर्थिक स्थिति	सर्व सम्मति से	
08	श्रीमती काबुर	विष्णु पानेकर	राज्य सरकार का आर्थिक स्थिति	सर्व सम्मति से	
09	श्रीमती काबुर	विष्णु पानेकर	राज्य सरकार का आर्थिक स्थिति	सर्व सम्मति से	
10	श्रीमती काबुर	विष्णु पानेकर	राज्य सरकार का आर्थिक स्थिति	सर्व सम्मति से	
11	श्रीमती काबुर	विष्णु पानेकर	राज्य सरकार का आर्थिक स्थिति	सर्व सम्मति से	

नाम पंचायत अडगडी

सचिव

ग्राम पंचायत

सरपंच
सरपंच

ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत-अडायडी
वि.खं.-मैनपुर, जि.-गरियाबंद (छ.प्र.)

22/02/2020